निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 75/2023
दायरा दिनांकः–06.09.2023
निर्णय दिनांकः– 24.7.24

उनवान

1. पांचुलाल आयु 55 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. जगदीश शर्मा आयु 65 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा जिला बारां राज0
2. करणसिंह आयु 85 वर्ष पुत्र रामप्रताप जाति कुमावत निवासी ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा जिला बारां राज0
3. गुलाब सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र करण सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा जिला बारां राज0

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट

निर्णय दिनांकः– 24.7.24

अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री श्यामलाल पारीक – प्रार्थी
2. श्री राजेश लोधा – अप्रार्थी
3. श्री अजय श्रीवास्तव –

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 0.3288 है0 भूमि ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में स्थित है जिस पर प्रार्थी कृषि कार्य कर कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है नकल जमाबन्दी व नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के खेत के उतरी दिशा में अप्रार्थी क्रम 1 जगदीश शर्मा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 109 तथा उसी के लगवा अप्रार्थी क्रम 2 करण सिंह की कृषि आराजी खसरा नम्बर 110 अवस्थित है जिसकी नकल जमाबन्दी व नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी की कृषि आराजी में आने जाने के लिए तथा प्रार्थी के पीछे के खेत में आनें जाने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की कृषि आराजी के बीच से उतर से दक्षिण गाडडा रास्ता बना हुआ था जिस पर से होकर प्रार्थी के पिता दादा भी उक्त कृषि आराजी पर कृषि कार्य करने के लिए आया जाया करतें थे जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे में लाल स्याही से A-B अंकित किया गया है। कुछ समय पूर्व से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के मन में बदनियती आ गई है इस कारण अप्रार्थीगण ने अपनी कृषि आराजी को बढा दिया है जिससे प्रार्थी का रास्ता समाप्त हो गया है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गरीब कृषक व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण 1 ता 3 गांव के मौतबिर व्यक्ति है जिन्होने अपने ताकत के बल पर प्रार्थी के खेत का रास्ता हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है प्रार्थी ने उक्त रास्ते के बाबत् अप्रार्थीगण से दिनांक 05.07.2023 को कहां तो अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने रास्ता देने से साफ इंनकार कर दिया अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता समाप्त कर दिया तो प्रार्थी की फसल चोपट हो जावेगी कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा प्रार्थी का परिवार भूखे मर जायेगा। प्रार्थी को अपने खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने जानवरों को लाने ले जाने व अन्य साधन लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। खसरा नम्बर 109 व 110 के मध्य उतर से दक्षिण मेड है इस मेड पर जाने हेतु रास्ता स्थाई रूप से रास्ता दिलवाये जाना एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं परम आवश्यक है इस परिपेक्ष में कृषि कार्य हेतु नियमानुसार जो भी न्यायहित में हो रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 66 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 44 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 2 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मूण्डक्या पेश किया फोटो प्रति आधार कार्ड पांचुलाल पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान वकील अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी के खेत के उतरी दिशा में अप्रार्थी क्रम 1 जगदीश शर्मा की आराजी खसरा नम्बर 109 तथा उसी के लगवा अप्रार्थी क्रम 2 करण सिंह की भूमि खसरा नम्बर 110 अवस्थित है प्रार्थी के खेत पर आने जाने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की कृषि आराजी के बीच से उतरी दिशा पगडंडी रास्ता बना हुआ था जिस पर से होकर प्रार्थी के पिता, दादा भी कृषि कार्य करने के लिए आया जाया करतें थे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का रास्ता बन्द कर दिया है प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब किसान है अप्रार्थीगण गांव के मोतबीर व्यक्ति है जिन्होने ताकत के बल पर प्रार्थी के खेत का रास्ता हमेशा के लिए समाप्त कर दिया हे प्रार्थी को अपनी भूमि पर जान के लिए अन्य कोई रास्ता नही है खसरा नम्बर 109 व 110 के मध्य उत्त्र दिशा मेंड पर होकर जाने हेतु स्थाई रूप से रास्ता दिलाया जाने एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का अप्रार्थी क्रम 2 व 3 की मेड पर होकर कभी रास्ता नही था। [illegible]र्थी क्रम 1 की मेड पर होकर आता जाता था। आज भी उसी [illegible] है। राजस्व रिकार्ड में भी अप्रार्थी क्रम 2 व 3 की मेड पर होकर आने ज[illegible]का रास्ता न तो पूर्व में था और न वर्तमान में है बल्कि प्रार्थी पर [illegible] आज भी नदी वाले रास्ते एवं पक्की सडक मेन रोड पर होकर भी प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता है इसके बावजूद भी प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 2 व 3 की भूमि में से होकर रास्ता मांग रहा है खसरा नम्बर 109 अप्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की न होकर किसी अन्य की भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण करके प्रार्थी का रास्ता बन्द किया है जिसका अप्रार्थी क्रम 1 का कोई अधिकार नही है प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता पहले से ही है मौजूद है अगर प्रार्थी के खेत पर जाने का कोई रास्ता नही होता तो प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता लेने का अधिकारी था। प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता पक्की सडक मेन रोड से है प्रार्थी को जाने का रास्ता पहले से मौजुद होने के बाद अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि से लेने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2074–75 खाता संख्या 66 में प्रार्थी का नाम शामलाती खातेदारी में हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2074–75 खाता संख्या 2 में 13 सहखातेदारों का नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा मात्र 3 खातेदारों को पक्षकार बनाकर रास्ते हेतु 251A RTA का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि प्रार्थी को सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था यह नही कहा जा सकता कि खसरा नम्बर 109 व 110 अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की भूमि है क्योकि प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक खसरा नम्बर में हक व हिस्सा होता है इस संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 109 व 110 के बीच की मेड पर होकर पैदल आने जाने का रास्ता चाहता है प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत तक जाने हेतु अन्य रास्ते का भी उपभोग करता है जिस पर ट्रेक्टर व अन्य कृषि यन्त्र लाता ले जाता है प्रार्थी पैदल आने जाने के लिए रास्ता चाहता है कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता पहले से मौजुद है जिस पर ट्रेक्टर व कृषि यन्त्र लाता ले जाता है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested